

न्यायालय लखनऊ कलकत्ता (अलवर) राज.

प्रकरण नं. रिपोर्ट पटवारी हल्का तुसारी बनाम विजय सो भजारी जाटव

प्रकरण अन्तर्गत धारा 11 एलआर क्लॉक

प्रकरण संख्या - RA/30/2018

निर्णय दिनांक :- 25/2/19

प्रस्तावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि नाम तुसारी की आ.सं.नं. 454 प्लॉक संख्या 1.08 विद्या जाहीन गण्डु में से 0.01 एकड़ भर की विजय 810 भजारी पर अमानिक्कृत खेप से अतिक्रमण कर मकड़ी डालकर कब्जा कर लिया है। इस मर पटवारी हल्का तुसारी द्वारा दिनांक 12/6/18

को उसके विरुद्ध यामुनी वार्धवाही किस्मे जाने की रिपोर्ट मघ लाईव भू-अ.निरी. कपूर के द्वारा प्रस्तुत किस्मे जाने पर प्रकरण वर्ण रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी विजय सो भजारी जाटव निवासी तुसारी को भू-राजसय अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किस्मे गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शान्ति बचावली विद्या गया। अतिक्रमी

उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पक्वली है।

उक्त रकम आ.सं.नं. 454 प्लॉक संख्या 1.08 में से 0.01 एकड़ विरुद्ध गण्डु मरघट का विरामण न. धारा 91 के तहत नोटिस जारी किस्मे गये नोटिस को अतिक्रमण रकमे से वेदखल किया जाने के आदेश दिए जाते हैं मर उक्त स्वरूप तामान 63 Paik का

50 गुणा 326 रकमे पैन्टली आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु डीआरए को लिखा जावे, पैन्टली तभी एव वेदखली हेतु हल्का पटवारी तुसारी भू-अ.निरी. कपूर

को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**लखनऊ**  
**कलकत्ता (अलवर) राज.**  
कलकत्ता, अलवर (राज.)

अतिरिक्त - रा. स. नं. 4 के प्लॉक सं. 16 प्लॉक सं. 11  
नं. 2018.2.19 प्लॉक सं. 32  
को कायमी की गई

11/3/19

लखनऊ न्यायालय  
कलकत्ता